ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट संख्या–01, सैक्टर– नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी–201301, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश
Website : WWW.greaternoidaauthority.in email ID : authority@gnida.in

दिनाँक : 28/02/2023

पत्रांक : सहायक निदेशक / उद्यान / 2022–23 / 1769

सेवा में,

श्री मनोज कुमार मौर्या,
उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–4
लखनऊ उत्तर प्रदेश

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0 ए0 संख्या 551 / 2022 डा0 अशोक कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाँक 14.12.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने स्वकीय पत्रांक एन0जी0टी0 11 / 77–4–2022 दिनाँक 26.12.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0 ए0 संख्या 551 / 2022 डा0 अशोक कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाँक 14.12.2022 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना की प्रति औद्योगिक विकास अनुभाग–4 को उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाँक 14.12.2022 के मुख्य अंश निम्नवत है:–

......4. In view of the averments made in the application and observations made in the report, we consider it appropriate to have response from (1) the State of Uttar Pradesh (U.P), through the Chief secretary, Government of U.P.
(2) the Member Secretory, UPPCB; (3) the chief Executive Officers, Greater Noida Industrial Development Authority; (4) the District Magistrate, Gautam Budh Nagar and (5) M/s PMSS Building Material Pvt. Ltd. Project Proponent who stand impleaded as respondents No.1 to 5. The registery is directed to prepare and attach memo of parties to the application. Respondent no.2 is already appearing before this Tribunal through counsel. Notices be Issued to respondents no. 1 and 3 to 5.
(5) Reply/respose by redpondents no. 1 to 5 be filled within one month by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of image PDF.
(6) List the further consideration on 01.02.2023.
(7) In the facts and circumstances of the case, we also consider presence of the Regional Officer, UPPCB and the Officer duly instructed/authorized by the CEO-Greater Noida Industrial Development Authority to be essential for producing the relevant record and assisting this Tribunal in just and fair adjudication of the questions involved in the case and accordingly, above Officers shall remain present before this Tribunal physically or through VC with relevant records on the date fixed."

सैक्टर–02 ग्राम पतवाड़ी के खसरा सं0–730 व 663 की भूमि प्राधिकरण की अर्जित व कब्जा प्राप्त भूमि है। उक्त खसरों की भूमि में प्राधिकरण द्वारा सैक्टर–02 के ब्लॉक डी0 में 130 मी0 चौड़ी सड़क के साथ 100 मी0 चौड़ी ग्रीन बैल्ट नियोजित है, जो कि अतिक्रमण के कारण बाधित है। प्राधिकरण की अर्जित व कब्जा प्राप्त भूमि पर

श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री कालूराम, निवासी ग्राम पतवाडी गौतमबुद्ध नगर द्वारा खसरा स0–663 पर आर0 एम0 सी0 प्लान्ट संचालित था। अतिक्रमणकर्ता को उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम–1976 की धारा–10 के अन्तर्गत नोटिस पत्रॉक अतिक्रमण / वरिष्ठ प्रबन्धक / उद्यान / 2021–22 / 259 दिनॉक 17.09.2021 प्रेषित किया गया एवं थाना बिसरख मे पत्रॉक उद्यान / 2021–22 / 404 दिनॉक 20.11.2021 के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट हेतु तहरीर दी गई। उक्त अवैध निर्माण को रोकने / हटाये जाने की स्वीकृति विशेष कार्याधिकारी (एस0 के0) महोदय द्वारा दिनॉक 21.12.2021 को प्रदान की गई है। खसरा सं0– 663 में पूर्व निर्मित आर0 एम0 सी0 प्लान्ट के निर्माण / अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही के दौरान शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस उपायुक्त, जनपद गौतमबुद्धनगर (उत्तर प्रदेश) महोदय से पत्रॉक वरिष्ठ प्रबन्धक / उद्यान / 2022–23 / 224 दिनॉक 10.0.5.2022 (प्रति संलग्न है) एवं पुनः पत्रॉक अ0मु0का0अ0(पी0) / अतिक्रमण / उद्यान / 2022–23 / 1683 दिनॉक 03.02.2023 (प्रति संलग्न है) के माध्यम से पुलिस विभाग गौतमबुद्ध नगर से समन्वय स्थापित कर उक्त खसरा संख्या से उक्त अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

Signed by
Anand Vardhan
ACEO
28/02/23 11:08:57

(आनन्द वर्धन)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि :–

1. स्टाफ ऑफिसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के संज्ञानार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए0एस0 / पी0 / ए0) को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ प्रबन्धक (उद्यान) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. गार्ड फाईल।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

dc

Horticulture/2021/52 3/1/2023, 10:30

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट संख्या–01, सैक्टर– नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी–201301, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश
Website : WWW.greaternoidaauthority.in email ID : authority@gnida.in

पत्रांक : अतिक्रमण / वरिष्ठ प्रबन्धक / उद्यान / 2021–22 / 259 342
09/17/2021, 16:11:33

दिनाँक : 17 / 09 / 2021
09/17/2021 16:11:16:

नोटिस
(उ0प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 धारा–10 के अन्तर्गत)

प्रेषक,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेवा में,
श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री कालूराम,
ग्राम पतवाड़ी, ग्रेटर नोएडा
गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश

खसरा संख्याः– 730 एवं 663
अतिक्रमण का प्रकारः– आर0 एम0 सी0 प्लॉन्ट एवं पूर्व से निर्मित कमरें एवं स्ट्रक्चर्स।

आपको धारा–10 के अन्तर्गत निम्नवत नोटिस दिया जाता है।

1. ग्राम पतवाड़ी, तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के साथ संलग्न अनुसूची–1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र मे स्थित है। इस सम्पत्ति पर दिनाँक 19.08.2021 को निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपके द्वारा अनुसूची–2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
2. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसची–1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करें, जिससे कि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
3. आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों की अवधि में आप अपना लिखित स्पष्टीकरण दें, यदि कोई है, एवं उक्त अवैध निर्माण को हटा लें व विवार्णित स्थल को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर दें। ऐसा न करने पर इसका पूर्ण दायित्व आप पर होगा और स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आपके द्वारा कराये गये अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर उपरोक्त स्थल को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित करने पर किये गये व्यय को आप से वसूल करे ले।

वरिष्ठ प्रबन्धक (उद्यान)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी 19:57:41
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर

Horticulture/2021/... 10:4

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

01, सैक्टर– नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नोएडा सिटी–201301, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश

पत्रांक– उद्यान/2021–22/404
दिनाँक– 20/11/2021

सेवा में,

थाना अध्यक्ष,
थाना बिसरख
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर

विषय :– ग्रीन बैल्ट सैक्टर–02 के ब्लॉक–डी0 में हो रहे अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्राथमिकी सूचना दर्ज कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री कालूराम, निवासी ग्राम पतवाडी गौतमबुद्ध नगर द्वारा सैक्टर–02 के ब्लॉक–डी0 में अवैध निर्माण किया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 धारा–10 के अन्तर्गत अतिक्रमण है। उक्त अवैध निर्माण से इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है अथवा पडने की सम्भावना है।

अतः श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री कालूराम, निवासी ग्राम पतवाडी गौतमबुद्ध नगर के विरूद्ध धारा–10 के उल्लघन एवं राजकीय भूमि पर अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण करने पर प्राथमिकी सूचना दर्ज करते हुये उचित कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने एवं कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें।

(मुकेश कुमार)
प्रबन्धक ग्रेड–2 (उद्यान)
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

23/11/21

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट संख्या–01, सैक्टर– नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी–201301, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश
Website : WWW.greaternoidaauthority.in email ID : authority@gnida.in

दिनाँक : 10/05/2022

पत्रांक : वरिष्ठ प्रबन्धक / उद्यान / 2022–23 / 224

838
08/04/2022, 11:19:48

337
05/11/2022 11:02:39 6:10:2

सेवा में,

पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय
जनपद गौतमबुद्धनगर
उत्तर प्रदेश

महोदय,

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत ग्राम पतवाड़ी खसरा संख्या–730 व 663 की भूमि प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि है। उक्त खसरों की भूमि पर सैक्टर–02 के ब्लॉक डी0 में 130मी0 चौड़ी सड़क के साथ 100मी0 चौड़ी ग्रीन बैल्ट नियोजित है, जो कि अतिक्रमण के कारण बाधित है। प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री कालूराम, निवासी ग्राम पतवाड़ी गौतमबुद्ध नगर द्वारा उक्त खसरों पर आर0 एम0 सी0 प्लान्ट संचालित है, जिस पर पूर्व में अतिक्रमण कर्ताओं को उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 की धारा–10 के अन्तर्गत नोटिस भी प्रेषित किये जा चुके हैं। उच्चाधिकारियों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध सम्बन्धित थाना बिसरख में पत्रांक उद्यान / 2021–22 / 404 दिनाँक 20.11.2021 के माध्यम से प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट हेतु तहरीर की जा चुकी है। उक्त अवैध निर्माण को रोकने / हटाये जाने हेतु प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निरन्तर प्रयास किया जाता रहा है, परन्तु अतिक्रमणकर्ता देर–सवेर अवैध निर्माण में लिप्त हैं। उक्त खसरों से पूर्व निर्मित निर्माण / अतिक्रमण के निर्माण का ध्वस्त करने के दौरान भारी प्रतिरोध की सम्भावना है। इस प्रकार अतिक्रमण निरोधक कार्यवाही के दौरान शान्ति व्यवस्था बनाने हेतु पर्याप्त पुलिस बल की आवश्यकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के दौरान कोई अप्रिय घटना घटित न हो एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने हेतु व्यवस्था शीघ्र कराने का कष्ट करें, जिसे अवैध निर्माण / अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा सके।

10-5-22

(अदिति सिंह)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

5004
05/10/2

प्रतिलिपि :–

1. स्टाफ आफीसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. पुलिस आयुक्त महोदय, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. स्टाफ आफिसर को, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (टी0 / ए0) को सूचनार्थ प्रेषित।
5. स्टाफ आफिसर को विशेष कार्याधिकारी (एस0के0) को सूचनार्थ प्रेषित।
6. महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. उप महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. उपजिलाधिकारी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त तिथि में प्रकरण से सम्बन्धित भिज्ञ अधिकारी / कर्मचारी स्थल पर अभिलेखों सहित उपस्थित रहने हेतु।
9. वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ई0एण्ड0एम0–1, 2, 3 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के समय समस्त स्टाफ सहित अपने–अपने वर्क सर्किल से भी टी0 एण्ड पी0 आदि की व्यवस्था हेतु।
10. थाना बिसरख को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. प्रभारी निरीक्षक (पुलिस), ग्रेटर नोएडा को पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुये आवश्यक समस्त कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. वरिष्ठ प्रबन्ध (एसेट्स) को इस आशय से कि ध्वस्तीकरण अभियान के समय स्टाफ एवं पुलिस बल हेतु सूक्ष्म जलपान की समुचित व्यवस्था करें।
13. गार्ड फाईल।

10-5-22
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

5004
05/10

Horticulture/2021/52 3/1/2023, 10:3

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट संख्या–01, सैक्टर– नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी–201301, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश
Website : WWW.greaternoidaauthority.in email ID : authority@gnida.in

पत्रांक : अ0मु0का0अ0(पी0) / अतिक्रमण / उद्यान / 2022–23 / 1683 दिनाँक : 03 / 02 / 2023

सेवा में,

पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय
जनपद गौतमबुद्ध नगर
उत्तर प्रदेश

महोदय,

अवगत कराना है कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत सैक्टर–02 ग्राम पतवाड़ी के खसरा संख्या–730 व 663 की भूमि प्राधिकरण की अर्जित व कब्जा प्राप्त भूमि है। उक्त खसरों की भूमि में प्राधिकरण द्वारा सैक्टर–02 के ब्लॉक–डी0 में 130मी0 चौड़ी सड़क के साथ–साथ 100मी0 चौड़ी ग्रीन बैल्ट नियोजित है, जो कि अतिक्रमण से प्रभावित है। प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री कालूराम, निवासी ग्राम पतवाड़ी गौतमबुद्धनगर द्वारा उक्त खसरों पर आर0 एम0 सी0 प्लान्ट संचालित है। इस सम्बन्ध में अतिक्रमणकर्ता को उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम–1976 की धारा–10 के अन्तर्गत नोटिस पत्रांक अतिक्रमण / वरिष्ठ प्रबन्धक / उद्यान / 2021–22 / 259 दिनॉक 17.09.2021 भी प्रेषित किया गया है। सम्बन्धित के विरूद्व सम्बन्धित थाना बिसरख में पत्रांक उद्यान / 2021–22 / 404 दिनाँक 20.11.2021 के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट हेतु तहरीर की जा चुकी है। उक्त अवैध निर्माण को रोकने / हटाये जाने की स्वीकृति विशेष कार्याधिकारी महोदय द्वारा दिनॉक 21.12.2021 को प्रदान की गई है। उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने हेतु पत्रांक वरिष्ठ प्रबन्धक / उद्यान / 2022–23 / 224 दिनॉक 10.05.2022 के माध्यम से पुलिस बल की मॉग की गई थी।

इसी क्रम में श्री मनोज कुमार मौर्या, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–4 लखनऊ के पत्रांक एन0जी0टी0 11 / 77–4–2022 दिनॉक 26.12.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0 ए0 संख्या 551 / 2022 डा0 अशोक कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनॉक 14.12.2022 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना की प्रति औद्योगिक विकास अनुभाग–4 को उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनॉक 14.12.2022 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं :–

In the facts and circumstances of the case, we also consider presence of the Regional Officer, UPPCB and the Officer duly instructed/authorized by the CEO-Greater Noida Industrial Development Authority to be essential for producing the relevant record and assisting this Tribunal in just and fair adjudication of the questions involved in the case and accordingly, above Officers shall remain present before this Tribunal physically or through VC with relevant records on the date fixed.."

अतः उपरोक्तानुसार उक्त अवैध निर्माण को दिन सोमवार दिनॉक 06.02.2023 को हटाये जाने एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था शीघ्र कराने का कष्ट करें, ताकि अवैध निर्माण / अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा सके।

(प्रेरणा शर्मा)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि :–

1. स्टाफ आफीसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के अवलोकनार्थ।
2. पुलिस आयुक्त महोदय, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए0 / ए0एस0 / वी0) को सूचनार्थ प्रेषित।
5. विशेष कार्याधिकारी (एस0के0) को सूचनार्थ प्रेषित।
6. उपजिलाधिकारी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त तिथि में प्रकरण से सम्बन्धित भिन्न अधिकारी / कर्मचारी स्थल पर अभिलेखों सहित उपस्थित रहने हेतु।
7. वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ई0एण्ड0एम0–1, 2, 3 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के समय समस्त स्टाफ सहित अपने–अपने वर्क सर्किल से भी टी0 एण्ड पी0 आदि की व्यवस्था हेतु।
8. थाना बिसरख को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. प्रभारी निरीक्षक (पुलिस), ग्रेटर नोएडा को पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुये आवश्यक समस्त कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. वरिष्ठ प्रबन्धक (एसेट्स) को इस आशय से कि ध्वस्तीकरण अभियान के समय स्टाफ एवं पुलिस बल हेतु सूक्ष्म जलपान की समुचित व्यवस्था करें।
11. गार्ड फाईल।

Horticulture/2021/52 3/1/2023, 10:3

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

842
02-02-2023 19:10:15